अध्याय 2
संविधान और आप

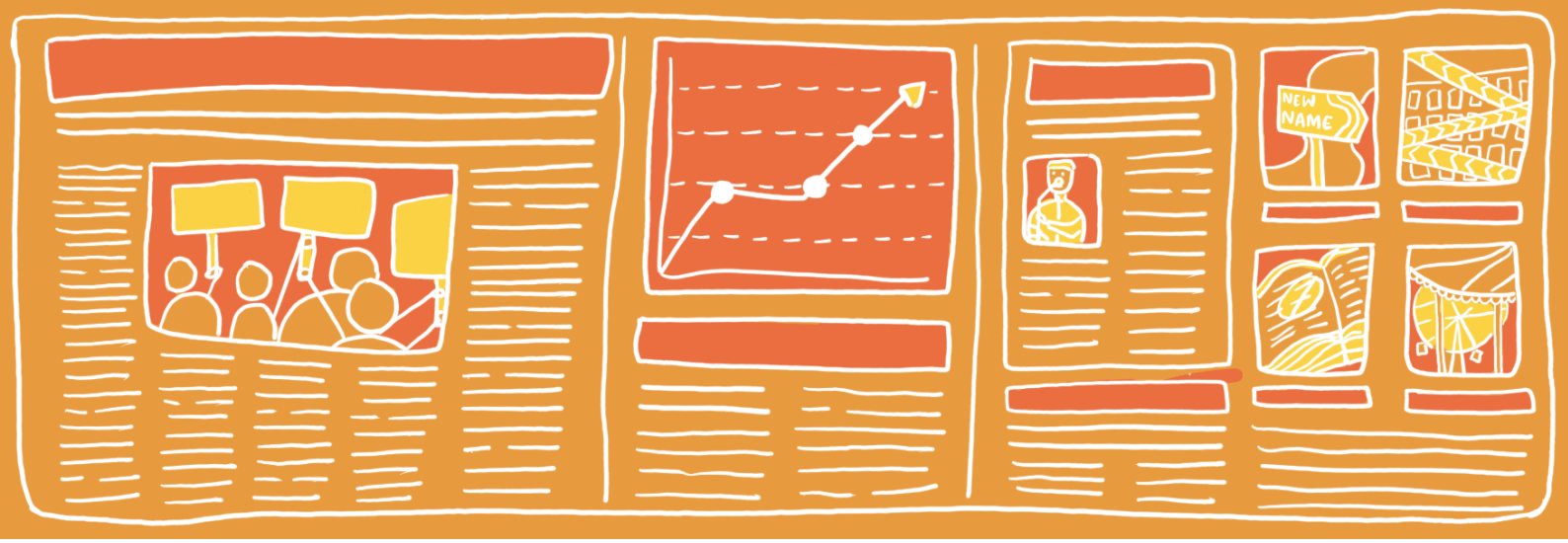

शुरुआत

आप किसी भी दिन, महीने, साल का अख़बार देखें | अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे लोगों की ख़बरों पर घेरा लगाएँ | चाहे यह खेती से जुड़े आंदोलन हों, या सिनेमा, खिलाड़ियों की सुरक्षा, बढ़ती हुई क़ीमतों, लाइसेंस रद्द होने, स्कूल की पोशाकों, या आरक्षण पर चर्चाओं को लेकर होने वाले आंदोलन | और फिर उन ख़बरों पर भी घेरा लगाएँ जिनमें सरकार की किसी कार्रवाई का ज़िक्र हो - राज्यों के और राष्ट्रीय चुनाव, कोई आपराधिक सुनवाई, किसी अदालत या जाँच एजेंसी का कोई फ़ैसला, सड़कें और पुल बनवाना, राजनीतिक दलों का बदलना, पुलिस के छापे, किसी नई विकास योजना की शुरुआत | अब उन ख़बरों पर भी घेरा लगाएँ जो भारत के इतिहास से जुड़ी हुई हों - स्मारकों का जीर्णोद्धार, सड़कों के नामों को बदलना, इतिहास की स्कूली किताबों से जुड़ी सामग्री, अतीत के नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों की याद में मनाए जाने वाले दिवस, त्योहारों के उत्सव |

आपने जो भी ख़बर पढ़ी है और जो भी सवाल आपके दिमाग़ में उठे हुए होंगे, वे सभी एक दस्तावेज़ से जुड़ते हैं- 1950 के भारत के संविधान से |

भारत का संविधान हो या चाहे किसी भी देश का संविधान, यह एक ऐसा दस्तावेज़ होता है जो उस देश की सभी गतिविधियों को निर्देशित करता है | इसके तीन मुख्य काम होते हैं:

- यह उन अधिकारों की पहचान करता है जो हमें हासिल होते हैं | सरकारें इन अधिकारों का सम्मान करें और उनकी रक्षा करें, इसके लिए संविधान नियम भी बनाता है |
- यह राज्य के तीन अंगों को स्थापित करता है: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका | यह उनके बीच के संबंधों और उनके कर्तव्यों को भी बताता है |
- और आख़िरकार यह इस देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का सम्मान करता है |

संविधान क्या होता है?

संविधान शासन का एक बुनियादी घोषणापत्र होता है | इस बात का क्या मतलब है? जब लोग एक साथ रहने का फ़ैसला करते हैं तो इसके लिए नियमों की ज़रूरत होती है कि वे किस तरह एक साथ रहेंगे | और फिर इसका मतलब यह भी है कि कोई ऐसा हो जो उन नियमों को लागू कराए और इसको पक्का बनाए कि लोग उन पर चल रहे हैं |

इसके अलावा, यह भी ज़रूरी है कि जिन लोगों पर इसकी ज़िम्मेदारी होती है, वे ख़ुद नियमों को नहीं तोड़ सकते हैं | यहीं पर संविधान की ज़रूरत पड़ती है | एक संविधान किसी समाज और किसी देश के लिए सभी नियमों को क़ायम करता है ताकि वे सामंजस्य के साथ रह सकें | ये वे नियम हैं जिनका लोगों और उनके "शासनकर्ताओं" दोनों के लिए पालन करना ज़रूरी है | दूसरे शब्दों में, यह किसी देश का सबसे बड़ा क़ानून होता है |

इससे यह लग सकता है कि संविधान एक बहुत ही ताकतवर दस्तावेज है, जिसे हम शायद ही कभी देखते या उसके बारे में सुनते हैं | यह भी लग सकता है कि इसका हमसे कोई लेना-देना नहीं है | आख़िरकार थोड़े से लोगों के एक छोटे से समूह ने 75 साल पहले इसे लिखा था | लेकिन इन तीन हालात की कल्पना करें

मान लीजिए कि आपके पास एक सरकारी नौकरी है जिसको आपने अपने प्रदर्शन के आधार पर हासिल किया था | एक दिन आपको बिना कोई वजह बताए अपनी नौकरी से हटा दिया जाए |
क्या आपको यह जानने का हक़ है कि आपको क्यों हटाया गया?

मान लीजिए आप स्कूल में परीक्षा दे रहे हैं | आपका □दोस्त□ आपके पास एक चिट फेंकता है, लेकिन आपकी दिलचस्पी उस चिट में नहीं है| आपने उसे देखा भी नहीं है | लेकिन शिक्षक ने आपके पैरों के पास चिट देख लिया और सोचा कि आप नक़ल कर रहे हैं और आपकी बात सुने बग़ैर उन्होंने आपकी परीक्षा रद्द कर दी |
जो हुआ क्या वह मुनासिब था?

मान लीजिए कि आप किसी नए क़ानून के ख़िलाफ़ विरोध ज़ाहिर करने किसी शांतिपूर्ण आंदोलन में गए | इसके फ़ौरन बाद पुलिस आती है और भीड़ पर लाठी चलाना शुरू करती है और सुरक्षा के नाते उसे तितर-बितर कर देती है | पुलिस के लिए ऐसा करना क्या न्यायसंगत था?

सहज रूप से आप गौर करेंगे कि आपके जवाब इस प्रकार के हो सकते हैं:

- हाँ, मुझे जानने की ज़रूरत है कि क्या मैंने कुछ ग़लत किया है | अगर नहीं तो मुझे अपनी आजीविका खोना नहीं चाहिए था |
- नहीं, यह मुनासिब नहीं था | शिक्षक को चाहिए था कि वे मेरा पक्ष सुनतीं और मुझे यह बताने का मौक़ा देतीं कि मैं नक़ल नहीं कर रहा था |
- नहीं, पुलिस ने यह सही नहीं किया | लोगों को जो बात अन्यायपूर्ण लगती है, उसका विरोध करने का उन्हें अधिकार होना चाहिए | पुलिस उनके ख़िलाफ़ हिंसक तरीक़े से पेश नहीं आ सकती है |

इन जवाबों में से हरेक जवाब भारत के संविधान के एक “अनुच्छेद” या एक प्रावधान से जुड़ता है | जैसे कि पहला और दूसरा जवाब अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 पर आधारित हैं | अनुच्छेद 14 समानता या बराबरी के अधिकार की बात करता है | वहीं अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार की बात कही गई है |

तीसरा जवाब संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) से जुड़ा हुआ है, जो बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के बारे में है |

यह दिखाता है कि संविधान हम सबके और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बहुत क़रीब है |

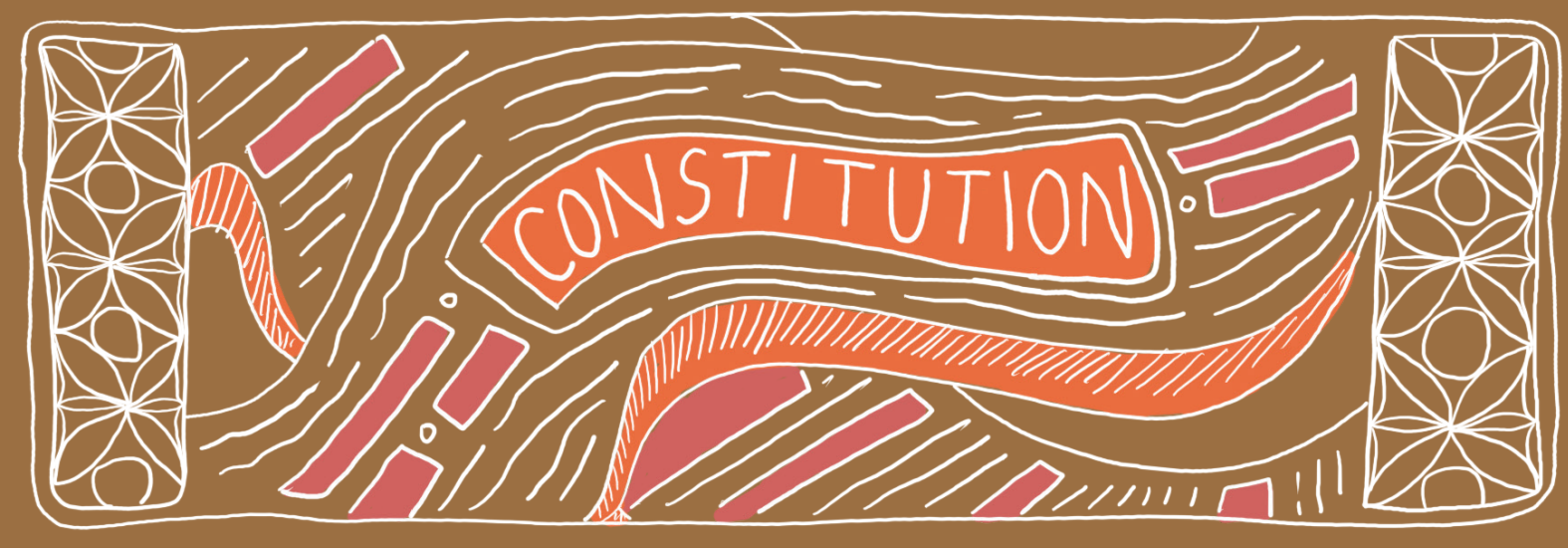

भारत के संविधान का आम ढाँचा:

भारत के संविधान के 25 भाग, 448 अनुच्छेद, और 12 अनुसूचियाँ हैं | इनके चलते यह आकार में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है |

दुनिया के सबसे बड़े आकार के संविधान को पढ़ना किसी के लिए भी एक हतोत्साहित या डरा देने वाली बात हो सकती है | तब फिर शुरुआत कहाँ से की जाए? आप इसे उसी तरह शुरू कर सकते हैं, जिस तरह आप कोई भी किताब शुरू करते हैं | इसकी विषय सूची (index) से | पूरी विषय सूची को आराम से देखें, आपकी दिलचस्पी के मुताबिक़ कुछ हिस्से आपका ध्यान खींचेंगे |

मज़ेदार बात यह है कि विषय सूची में आप पाएँगे कि अंतिम अनुच्छेद 395 है न कि 448 | क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? इसका जवाब ख़ुद विषय सूची में ही मिल जाएगा |

प्रस्तावना

संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि संविधान किस बारे में है, इसके मुख्य सिद्धांत क्या हैं और इसे क्यों बनाया गया है। यह संविधान का सार है जो इसकी दिशा और उद्देश्य को स्पष्ट करता है। यह उन बुनियादी मूल्यों की पहचान करती है, जिनको संविधान अपने विशिष्ट प्रावधानों में आखिरकार अपनाएगा | भारत में प्रस्तावना की बुनियाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर पड़ी |

अभी बस प्रस्तावना पढ़ें - इसमें जो शब्द लिखे गए हैं, क्या हम उनमें से किसी भी एक को अपवाद के रूप में ले सकते हैं? क्या आपको लगता है कि उनमें से कोई शब्द अब लागू नहीं होता है? आपको अगर उसमें कोई शब्द जोड़ने को कहा जाए, तो आप क्या जोड़ना पसंद करेंगे?

इस अतिरिक्त तथ्य के बारे में सोचिए - 1978 में प्रस्तावना में संशोधन करके "समाजवादी" और "धर्मनिरपेक्ष" शब्द जोड़े गए | आपके मुताबिक़ इन शब्दों का क्या मतलब है?

संविधान सभा की बहसें

कल्पना कीजिए कि आप अपनी कक्षा के मॉनिटर के साथ मिलकर अपनी कक्षा के लिए कुछ नियम बनाने जा रहे हैं | ये वे नियम होंगे जो पूरे अकादमिक साल तक आपको प्रभावित करेंगे - ये नियम अंतिम तारीख़ों (deadline), देर से असाइनमेन्ट जमा करने के दंड, और उन दिनों की कुल संख्या के बारे में होंगे जब आप गैरहाजिर रह सकते हैं, आदि | आपकी कक्षा में 100 लोग हैं | आपके मॉनिटर ने कुछ नियमों का मसौदा बनाया और छात्रों से उन पर मत (vote) डालने के लिए कहा |

नियम	पक्ष	विपक्ष
कक्षा में चर्चा के दौरान कोई भी छात्र दो बार से ज़्यादा नहीं बोल सकता है		90	10
आपकी कक्षा का नाम वंडरलैंड है		70	30
कक्षा की कोई आधिकारिक भाषा नहीं है	छात्र आपस में जिस भी भी भाषा में सहज हो बातें कर सकते हैं		55	45

अब इन सवालों के जवाब दें:

इनमें से कौन सा नियम पूरे अकादमिक साल में सबसे अधिक लंबे समय तक चलने की संभावना है? और कौन सा नियम चाहे मंज़ूर हो जाए लेकिन इसकी संभावना अधिक है कि उसे बदल दिया जाएगा?

नियमों को बनाने की ऐसी ही एक प्रक्रिया भारत की संविधान सभा में चलाई गई थी | इसी सभा के ऊपर भारत के संविधान का मसौदा लिखने की ज़िम्मेदारी थी | संविधान सभा की बहसें 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुईं और 24 जनवरी 1950 तक चलती रहीं | इन तीन वर्षों के दौरान संविधान के लेखकों ने संविधान के हरेक अनुच्छेद पर चर्चा की, बहस की, उनके मसौदों को लिखा, और बार-बार लिखा | उनकी कोशिश यह थी कि कोई ख़ास प्रावधान अंतिम रूप में लिखा जा सके, उसके पहले उस प्रावधान और उसकी भाषा पर सभा के सदस्यों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा सहमति बन पाए |

संविधान का मसौदा लिखने की प्रक्रिया में सबके बीच में आम सहमति का बनना एक बहुत अहम हिस्सा था | संविधान लिखने वाले लोगों ने सावधानी बरती और आम बहुमत से फ़ैसले नहीं लिए | यह एक अच्छा फ़ैसला था |

?

संविधान सभा की बहसों का कोई एक हिस्सा पढ़ें | यह □भाषा□ के बारे में अंश हो सकते हैं, या फिर संविधान का अनुच्छेद 1 हो सकता है | एक अनुच्छेद का मसौदा लिखने के दौरान बातचीत और इस मसौदे पर चर्चा की प्रक्रिया के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आपको लगता है कि आप इससे कुछ सीख सकते हैं, तो यह राजनीतिक संवाद और फ़ैसले लेने के बारे में आपको क्या सिखाता है?

भारत के संविधान की बुनियादी अवधारणाएँ और इसकी मुख्य बात

भारत के संविधान को समझने के लिए बुनियादी तौर पर दो अवधारणाओं को जानना ज़रूरी है | ऐसा नहीं है कि ये सिद्धांत सिर्फ़ भारत में ही मौजूद हैं | बल्कि वे क़रीब-करीब हरेक आधुनिक संविधान की विशेषता हैं | ये अवधारणाएँ हैं

- संविधानवाद
- शक्तियों का बँटवारा
  - क्षैतिज (Horizontal)
  - ऊर्ध्व (संघवाद) (Vertical Federal)

सबसे आसान शब्दों में कहें तो संविधानवाद का मतलब है सत्ता या शक्तियों के ऊपर सीमाएँ क़ायम करने का विचार | यह ज़रूरत इस तथ्य पर आधारित है कि कोई भी सत्ता सीमाहीन नहीं हो सकती है | अगर कोई व्यक्ति अपार शक्ति का उपयोग करता है, तब उस सत्ता के तहत रहने वाले लोगों की आज़ादी सीमित हो जाती है | जब शासन का एक दस्तावेज़ यानी संविधान, लोगों को दी जाने वाली शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है, तब ऐसे संविधान को संविधानवाद कहा जाता है |

शक्तियों का बँटवारा शक्ति को सीमित करने का एक तरीक़ा है | शासन एक जटिल गतिविधि होती है जिसके अनगिनत पहलू होते हैं | इसमें सामाजिक मुद्दों की पहचान शामिल होती है, इसके तरीक़े बताए जाते हैं कि इन मुद्दों से कैसे निबटा जाए, और आख़िरकार यह बताया जाता है कि अगर कोई विवाद उठ खड़ा हो तो उसको किस तरह हल किया जाए | अगर इनमें से सभी काम और उससे जुड़ी शक्तियाँ किसी एक इंसान को दे दी जाएँ तब (क) सत्ता असीमित हो जाती है और (ख) एक इंसान के लिए इन सभी कामों को कारगर तरीक़े से पूरा करना नामुमकिन होगा |

इसलिए भारत समेत ज़्यादातर संविधान में तीन संस्थान बनाए गए हैं - कार्यपालिका (जो नीतियाँ बनाती है), विधायिका (जो क़ानून बनाती है) और न्यायपालिका (जो विवादों को हल करती है) | ऐसा करने से शासन की शक्तियाँ राज्य की तीन शाखाओं के बीच बँट जाती हैं | इस तरह से वितरण या बँटवारे से सत्ता या शक्ति एक ही जगह जमा होने से बच जाती है | भारत में शक्तियों के बँटवारे में एक और धारणा भी शामिल है जिसे नियंत्रण और संतुलन (checks and balances) की व्यवस्था कहते हैं | इसका मतलब यह है कि कोई भी शाखा किसी दूसरी शाखा के काम को अपने हाथ में नहीं ले सकती (यानी आम नियम यह है कि न्यायपालिका क़ानून नहीं बना सकती है या फिर संसद विवादों पर न्यायिक फ़ैसले नहीं दे सकती है) | इस तरह हर शाखा दूसरी शाखाओं पर एक अंकुश बनाए रख सकती है और उसे रखना चाहिए (उदाहरण) |

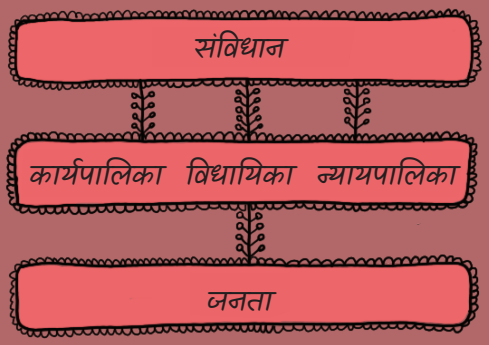

शक्ति के बँटवारे का एक दूसरा रूप संघवाद (Federalism) है | भारत जैसे जो देश सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विविधता से भरे हैं, शासन के एक ही स्तर में सत्ता का केंद्रित होना उचित नहीं है | इसलिए शक्तियों को राज्य और संघीय सरकार के बीच दो स्तरों पर बाँटा गया है | इसलिए हमारे यहाँ एक संघीय सरकार है जिसके पास एक संसद, कार्यपालिका और भारत का सर्वोच्च न्यायालय है | इसके साथ-साथ हमारे यहाँ राज्य सरकारें हैं जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें, जिनमें से हरेक के पास एक राज्य विधानसभा, एक राज्य सरकार, और एक उच्च न्यायालय है | इस तरह देश के अलग-अलग हिस्सों के लोगों का प्रतिनिधित्व न सिर्फ़ राज्य स्तर पर बल्कि संघीय स्तर पर भी होता है |

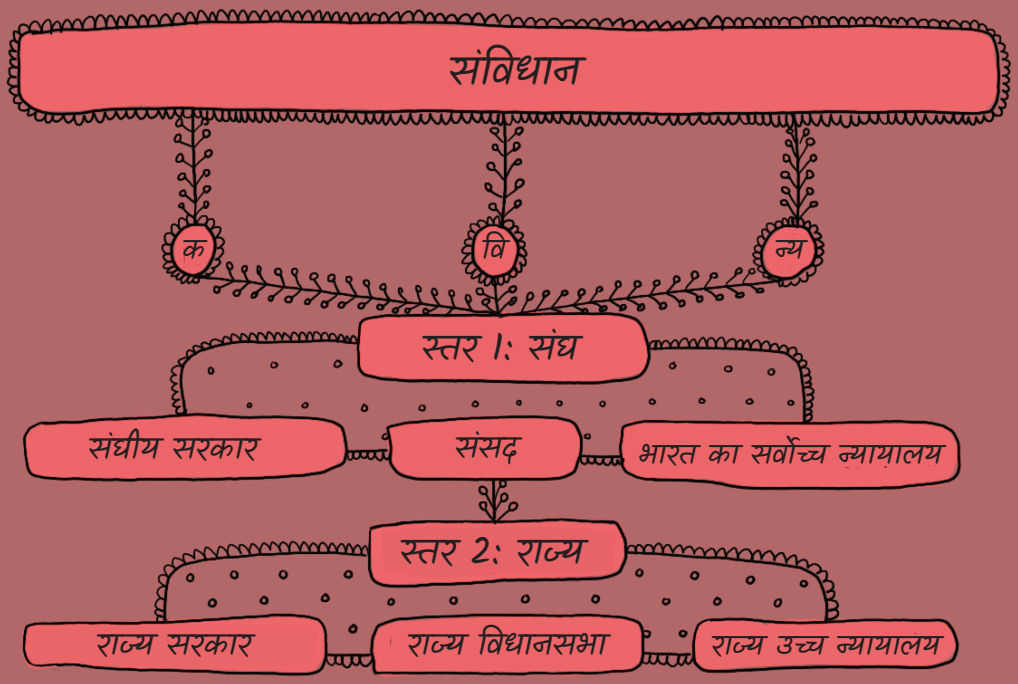

भारत के संविधान में यह बात कैसी दिखती है?

कई अलग-अलग विषयों पर क़ानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है | लेकिन अनुच्छेद 246 के मुताबिक इन विषयों को संसदीय और राज्य विधानसभाओं के बीच बाँटा गया है | अगर आप इस प्रावधान को पढ़ें तो आप सातवीं अनुसूची तक पहुँचेंगे, जहाँ तीन 'सूचियाँ' दी गई हैं | सूची 1 संघीय सूची है | आप इसके विषयों को देखिए, इन सभी विषयों पर संसद क़ानून बना सकती है | सूची 2 राज्य सूची है | इसमें दिए गए सभी विषयों पर राज्य की विधानसभाएँ क़ानून बना सकती हैं | और अंत में सूची 3 है जिसके विषय संसद और विधानसभाओं के बीच साझे हैं |

मौलिक अधिकार

अब तक हमने संविधान के व्यापक ढाँचे को समझ लिया है | हमने संविधान को निर्देशित करने वाले सिद्धांतों को भी जान लिया है | इसलिए अब हम संविधान के सबसे अहम और जटिल भाग के बारे में जानते हैं | यह है भाग 3 |

हमारा सुझाव है कि आप यह करें:

पता लगाएँ कि भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं | आप संविधान की विषय सूची देख सकते हैं या फिर अनुच्छेद के पन्ने तब तक पलटते जाएँ जब तक आप भाग 4 पर न पहुँच जाएँ | (अनुच्छेद 12-35)

इस भाग 3 के सभी अनुच्छेदों के □शीर्षकों□ को पढ़ें | आप इन्हें हरेक प्रावधान के □विषय□ के रूप में समझ सकते हैं | क़ानूनी भाषा में, शीर्षक को □हाशिए की टिप्पणी□ (□□□□□□□□ □□□□) कहते हैं |

जब पहली बार पढ़ें: हरेक अनुच्छेद के पाठ को पढ़ें, लेकिन अनुच्छेद 32 पर आकर रुक जाएँ | लंबे वाक्यों और जटिल भाषा को लेकर परेशान न हों | हरेक अनुच्छेद में मोटे तौर पर क्या कहने की कोशिश की गई है, इसे समझें |

जब दूसरी बार पढ़ें: हरेक अनुच्छेद के पाठ को फिर से पढ़ें | इस बार गौर से पढ़ें, और जो भी शब्द आप नहीं जानते हों, या जो शब्द महत्वपूर्ण लग रहा हो, उस पर निशान लगाएँ |

अब इन सवालों के जवाब दें:

क्या आपको महसूस होता है कि अधिकारों को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए, या फिर वे किसी तरह से आपस में जुड़े हुए हैं?

अधिकारों को जिस तरह लिखा या तैयार किया गया है, क्या उनमें कोई पैटर्न है?

अपने बारे में सोचें | आपको क्या लगता है कि कौन-से अधिकार आपके लिए सबसे अधिक मायने रखते हैं? अब अपने पड़ोसियों के बारे में सोचें | इसकी कितनी संभावना है कि उनका जवाब आपके इस जवाब से मेल खाएगा? तब क्या होगा तब आप जिस अधिकार को सबसे अधिक महत्व दे रहे हैं, वह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार से टकरा जाए?

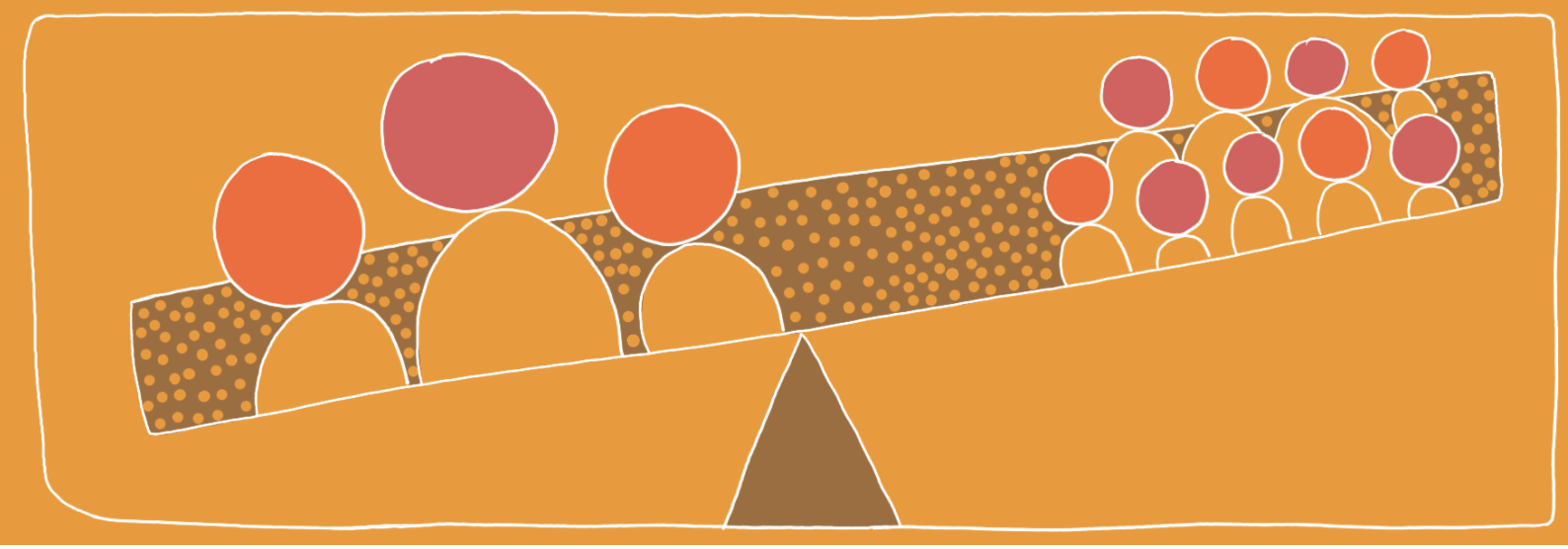

समानता का नियम - अनुच्छेद 14-18

इस भाग में हम संविधान के समानता के नियम की बात करेंगे |

एक आसान से सवाल से शुरू करते हैं | आपके लिए समानता शब्द का क्या मतलब है? जब आप कहते हैं कि दो चीज़ें समान हैं, तो हमारा मतलब यह है कि वे कुछ मामलों में एक ही हैं | गणित में यह बहुत आसान है जहाँ 2 = 2 होता है | लेकिन जब हम लोगों की बात करते हैं और यह कहते हैं कि दो लोग बराबर हैं, और उनसे बराबरी से पेश आते हैं तब गणित जैसी सटीक बराबरी का होना संभव नहीं है और न ही इसकी ज़रूरत है |

आइए इस बुनियादी विचार से शुरू करते हैं कि सभी लोग असल में पैदाइशी तौर पर समान होते हैं | लेकिन इस बुनियादी विचार में गड़बड़ी तब आने लगती है जब लोगों के जीवन के अनुभवों की हकीकत सामने आती है | हक़ीक़त में जाति, वर्ग, सेक्स, धर्म ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो यह तय करती हैं कि कोई व्यक्ति समाज में कहाँ खड़ा है, उसकी हैसियत क्या है | ग़ौर कीजिए कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है, वह इन चीज़ों के साथ या उनके भीतर पैदा होता है | लेकिन ये चीज़ें और ऐसी कुछ दूसरी चीज़ें यह तय करती हैं कि व्यवहार में किन लोगों को समान माना जाएगा और किसी व्यक्ति के क्या अधिकार हैं | संविधान इस हालत का सामना कैसे करता है?

अनुच्छेद 14 कहता है:
क़ानून के आगे बराबरी: भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को क़ानून के आगे बराबरी (या समान व्यवहार) से या क़ानून की समान रूप से सुरक्षा से वंचित नहीं करेगा |

क़ानून के आगे बराबरी का मतलब यह है कि हरेक व्यक्ति पर क़ानून समान रूप से लागू होता है और इसका कोई भी अपवाद नहीं है | यह एक सीधा सा सिद्धांत है | लेकिन दूसरा बिंदु कुछ ज़्यादा जटिल है जो क़ानून से समान सुरक्षा की बात करता है |

आइए आसान बात से शुरू करते हैं | मान लीजिए कि हमारे सामने ऐसी एक स्थिति है:

“कक्षाएँ” स्कूलों में वर्षों का दूसरा नाम हैं - जैसे कि पहली कक्षा पहला साल, दूसरी कक्षा दूसरा साल, तीसरी कक्षा तीसरा साल, चौथी कक्षा चौथा साल | क्या आप पहली कक्षा के छात्र को चौथी कक्षा का गणित का सवाल हल करने के लिए देंगे?

इसको वर्गीकरण का सिद्धांत (doctrine of classification) कहते हैं | इसका मतलब यह कि समानता या बराबरी कोई स्थिर या ठहरी हुई अवधारणा नहीं है, जहाँ सभी लोगों और चीज़ों को एकसमान मान लिया जाता है चाहे उनकी स्थितियाँ और उनको हासिल साधन कैसे भी हों | जैसे कि अगर मेरी आमदनी 1000 रुपए है और आपकी 1,00,000 रुपए, तो क्या सरकार के लिए हमारी आमदनी पर 30% कर (टैक्स) लगाना उचित होगा?

इसी तरह वर्गीकरण के नतीजे में ट्रकों और कारों के लिए अलग-अलग गति सीमाओं, रिटायरमेंट की उम्र, कॉलेज में दाख़िले के लिए कट-ऑफ संबंधी नियम और कानून बनाना, और विशेष अपराधों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना करना संभव होता है | अब अगर क़ानून ऐसा वर्गीकरण कर सकता है, तब क्या ऐसा कोई आधार होना चाहिए जिससे यह निश्चित किया जा सके कि ऐसे वर्गीकरण से किसी को नुक़सान न हो रहा हो?

किसी चीज़ या व्यक्तियों के समूहों का वर्गीकरण होने के लिए एक शर्त होती है | किसी व्यक्ति को जाति, सेक्स या धर्म जैसे कारकों के आधार पर उन्हें अलग-थलग करके, उन्हें बाहर रख कर नुक़सान पहुँचाने जैसे वर्गीकरण प्रतिबंधित हैं | जाति का उदाहरण लेते हैं | व्यक्तियों के पेशों के आधार पर उन्हें जन्म पर आधारित वर्गों में बाँटने वाली जाति व्यवस्था के नतीजे में समाज के हिस्सों के साथ बहुत ही अनुचित व्यवहार हुआ है | इसलिए संविधान का अनुच्छेद 17 जाति व्यवस्था का किसी भी तरह से पालन करने, और ख़ास तौर से छुआ-छूत का पालन करने को एक अपराध घोषित करता है | इसी तरह, अनुच्छेद 15 कहता है कि आम तौर पर जाति, सेक्स, धर्म या जन्मस्थान के आधार पर किसी के ख़िलाफ़ भेदभाव नहीं किया जा सकता है |

ऐसा कहने के साथ-साथ क़ानून के ऊपर ग़लतियों को सुधारने की ज़िम्मेदारी भी है | संविधान के समानता के नियम का एक अहम हिस्सा है सकारात्मक कार्रवाई (affirmative action) | सकारात्मक कार्रवाई ऐसे कदम हैं जिनके जरिए सरकार दो व्यक्तियों के बीच में मौजूद बराबरी की गारंटी करती है | संविधान सरकार को ऐसे विशेष प्रावधान बनाने की इजाज़त देता है, ताकि समाज के इन तबकों को विशेषाधिकार वाले तबकों की बराबरी में ले आया जा सके | इसका मकसद सामाजिक न्याय को सुनिश्चित बनाना है | हिंदी में सकारात्मक कार्रवाई को आम तौर पर आरक्षण के नाम से जाना जाता है |

संविधान में जिन अन्य मौलिक अधिकारों की गारंटी की गई है, उनको देखें | हमने बराबरी के अधिकार के मामले में अभी जैसा किया है, उसी तरह हरेक अधिकार के पीछे जो सिद्धांत काम कर रहे हैं उनको पहचानने की कोशिश करें |

सामान्य नियम और सोचने के लिए अभ्यास

शुरुआती सेक्शनों में आपने इस पर विचार किया कि एक देश के लिए एक संविधान का क्या मतलब होता है और इसका क्या काम है | आपने मौलिक अधिकारों पर सबसे अहम सेक्शन को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में भी सोचा | जब आप संविधान को पढ़ें तो नीचे कही गई बातों का ध्यान रखें और फिर उनके बाद दिए गए अभ्यासों पर सोचें -

अब आप इन सवालों पर सोचिए:

- क्या संविधान ठहरा हुआ है, यानी यह कभी नहीं बदलता? क्या इसे कभी नहीं बदलना चाहिए? या इसे समय के साथ विकसित होना चाहिए?
- क्या संविधान का मतलब सिर्फ़ उन शब्दों में है जिन्हें आप पढ़ते हैं या उससे बढ़ कर कुछ है?
- इन शब्दों का क्या मतलब होता है, इसका फ़ैसला कैसे किया जाता है?
- इसका फ़ैसला कौन करता है?

- भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को पढ़ना और समझना क़ानून बनाने की एक ऐसी प्रक्रिया को समझना है, जिसमें व्यक्ति, समाज और राज्य के परस्पर प्रतिस्पर्धी हितों में एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है | ये हमेशा एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, और जब भी कभी उनके बीच में टकराव की नौबत आती है, तब समझने के लिए संविधान के नज़रिए को पेश करने वाली उसकी प्रस्तावना को देख सकते हैं जिस पर शुरुआत में हमने बात की थी |

- हमेशा ही इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या न्यायसंगत, उचित और तर्कसंगत है | लेकिन अच्छी बात यह है कि प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) जैसी एक धारणा भी मौजूद है | प्राकृतिक न्याय स्वयंसिद्ध सच्चाइयों का एक समूह (set) होते हैं कि मृत्यु दंड या क़ैद जैसी किसी तरह की सज़ा पाने की संभावना वाले लोग कैसी उम्मीद करेंगे कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए | अपने आप में स्वयंसिद्ध सच्चाइयों की धारणा को समझने के लिए आइए थोड़ी देर आँखें बंद करें और सोचें (क) कितने लोग मरने के अधिकार का समर्थन करते हैं और (ख) कितने लोग सज़ा सुनाए जाने से पहले चाहते हैं कि उनके पक्ष को रखने का अधिकार हो | आप पाएँगे कि पहले मामले में लोगों के विचार बहुत बँटे हुए होंगे, लेकिन दूसरे में सबकी राय समान होगी |

आगे के अध्यायों को पढ़ते हुए आप देखेंगे कि व्यवहार में संविधान कैसे काम करता है - अदालतों में, क़ानून लागू करने के मामले में और क़ानून बनाने वालों के मामले में | आप जब इसे पढ़ रहे हों तो यह देखने के लिए वापस इस अध्याय को फिर से देख सकते हैं ताकि इस पर सोच सकें कि यहाँ हमने जिन सिद्धांतों की चर्चा की है क्या वे दूसरे अध्यायों में मिलते हैं |

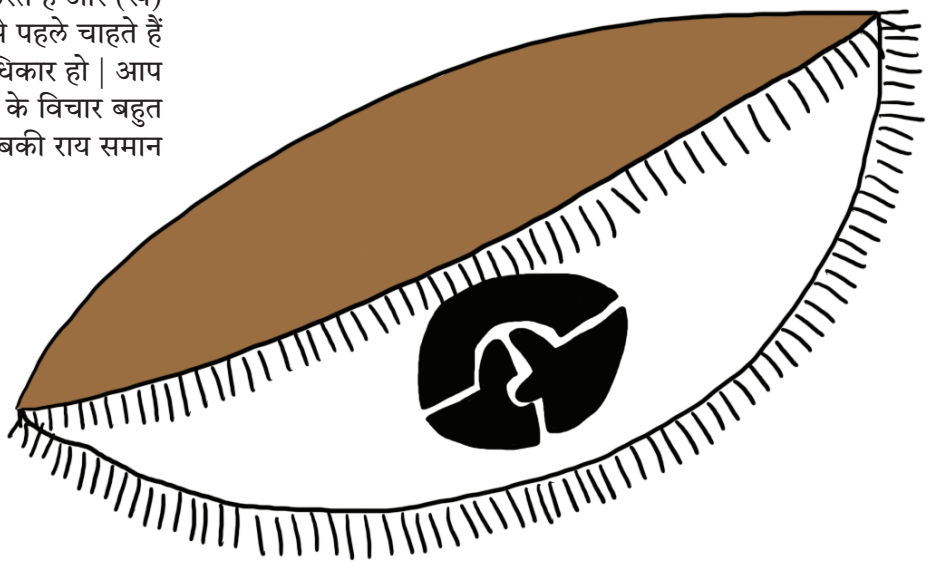

शब्दावली

संविधान के अनुच्छेद:
ये सरकार, मौलिक अधिकारों और नागरिकों के कर्तव्यों के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा पेश करने वाले सेक्शन हैं जिनको संख्याओं के साथ जाना जाता है.

संविधान की अनुसूचियाँ:
ये विभिन्न प्रशासनिक और विधायी मामलों के बारे में विवरण देने वाले हिस्से हैं जिन्हें संविधान में जोड़ा गया है.

समाजवादी:
यह एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि सरकार को आर्थिक ग़ैरबराबरी को घटाने और सभी नागरिकों की ख़ुशहाली और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए.

धर्मनिरपेक्ष:
यह संविधान का एक और मौलिक सिद्धांत है जो कहता है कि भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है और यह धार्मिक आज़ादी और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है.

मौलिक अधिकार:
बुनियादी अधिकारों और आज़ादियों का एक समूह जो सुरक्षित हैं और हरेक नागरिक के लिए उनकी गारंटी की गई है जैसे कि समानता का अधिकार, बोलने की आज़ादी, और जीवन का अधिकार.

कार्यपालिका:
सरकार की वह शाखा जिस पर क़ानून को लागू करने और देश को चलाने की ज़िम्मेदारी है. इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल शामिल हैं.

विधायिका:
यह वह संस्था है जो क़ानून बनाने और उसे पारित करने के लिए ज़िम्मेदार है. भारत में संसद के दोनों सदन, राज्य सभा और लोक सभा, तथा राज्य की विधानसभाएँ इसका हिस्सा हैं..

न्यायपालिका:
क़ानून की व्याख्या करने और उसको बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार शाखा. भारत में न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सभी दूसरी अदालतें इसमें आती हैं.